



## प्रवासी प्रजातियों पर अभिसमय

### प्रलिस के लयः

[बॉन कनवेंशन \(UNEP/CMS\)](#), [मध्य एशयाई फलाईवे](#), [माइक्रो-प्लासटकि](#) और [सगल-युज प्लासटकि](#), वन्यजीव अपराध नयंत्रण ब्यूरो, [वन्यजीव संरक्षण अधनियम, 1972](#)

### मेन्स के लयः

प्रवासी प्रजातियों पर अभिसमय और भारत द्वारा कयि गए प्रयास

## चर्चा में क्योँ?

प्रयावरण, वन और जलवायु परविरतन मंत्रालय ने [संयुक्त राष्ट्र प्रयावरण कार्यक्रम/प्रवासी प्रजातियों पर अभिसमय \(United Nations Environment Programme/Convention on Migratory Species- UNEP/CMS\)](#) के सहयोग से [मध्य एशयाई फलाईवे \(Central Asian Flyway- CAF\)](#) में प्रवासी पक्षियों एवं उनके आवासों के संरक्षण प्रयासों को मजबूत करने हेतु पक्षकार देशों की एक बैठक आयोजति की।

- बैठक में आरमेनया, बांग्लादेश, कजाखस्तान, करिगजिस्तान, कुवैत सहति 11 देशों ने भाग लया। प्रतनिधियों ने CAF के लयि एक संस्थागत ढाँचे और CMS/CAF कार्ययोजना को अद्यतन करने हेतु एक मसौदा रोडमैप पर सहमतवियक्त की।

## CMS:

### परचियः

- यह **UNEP** के तहत एक अंतर-सरकारी संधि है जसि [बॉन कनवेंशन](#) के नाम से जाना जाता है।
- इस पर वर्ष 1979 में हस्ताक्षर कयि गए थे और यह 1983 से लागू है।
- **CMS** में 1 मार्च, 2022 तक 133 पक्षकार हैं।
  - भारत भी वर्ष 1983 से CMS का एक पक्षकार है।

### लक्ष्यः

- इसका उद्देश्य स्थलीय, समुद्री और एवयिन प्रवासी प्रजातियों को उनकी सीमा में संरक्षति करना है।
- यह वैश्वकि स्तर पर संरक्षण उपायों को संचालति करने के लयि कानूनी नीव रखता है।
  - CMS के तहत कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौते और कम औपचारकि समझौता ज्ञापन भी कानूनी साधनों के रूप में संभव हैं।

### CMSके तहत दो परशिषिटः

- परशिषिट I 'संकटग्रस्त प्रवासी प्रजातियों' को सूचीबद्ध करता है।
- परशिषिट II 'अंतरराष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता वाली प्रवासी प्रजातियों' को सूचीबद्ध करता है।

### भारत और CMS:

- भारत ने साइबेरयिन करेन (1998), समुद्री कछुए (2007), डुगोंग (2008) और रैप्टर (2016) के संरक्षण एवं प्रबंधन पर **CMS** के साथ गैर-कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता ज्ञापन (Memorandum of Understanding- MoU) पर हस्ताक्षर कयि हैं।
- भारत दुनया के 2.4% भूमि क्षेत्र के साथ ज्ञात वैश्वकि जैववविधिता में लगभग 8% का योगदान देता है।
  - भारत कई प्रवासी प्रजातियों को अस्थायी आश्रय भी प्रदान करता है जनिमें [अमूर फालकन](#), [बार-हेडेड गीज](#), [ब्लैक-नेकड करेन](#), [समुद्री कछुए](#), [डुगोंग](#), [हंपबैक व्हेल](#) आदि शामिल हैं।

### प्रवासी प्रजातियाँ:

- जंगली पशुओं की एक प्रजाति अथवा नचिले श्रेणी के टैक्सोन, (जैवकि वर्गीकरण के वजिज्ञान में प्रयुक्त इकाई) जसिकी पूरी आबादी अथवा आबादी का कोई भौगोलकि रूप से अलग हसिसा **चक्रीय रूप से और अनुमानति रूप से एक या एक से अधिक राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र की सीमाओं के पार जा सकता है।**
- "चक्रीय रूप से" पद कसि भी प्रकार के चक्र को संदर्भति करता है, जसिमें जलवायु, जैवकि और खगोलीय (सर्कैडयिन, वार्षकि आदि) चक्र शामिल हैं।
  - पद "अनुमानति रूप से" का तात्पर्य है कि एक घटना की कुछ प्रकार की स्थतियों के तहत पुनरावृत्ति होने की उम्मीद की जा


सकती है, हालाँकि जिरूरी नहीं कियह समय-समय पर नयिमति रूप से हो ।

## मध्य एशियाई फ्लाईवे:

- मध्य एशियाई फ्लाईवे (CAF) पक्षियों के लिये एक प्रमुख प्रवासी मार्ग है, जो आर्कटिक महासागर से हिंद महासागर तक 30 देशों तक फैला हुआ है।
  - भारतीय उपमहादीप CAF का एक हिस्सा है जहाँ 182 प्रवासी जलपक्षी प्रजातियाँ (29 विश्व स्तर पर संकटग्रस्त प्रजातियाँ सहित) के कम-से-कम 279 आबादी भारत में पाई जाती है।
  - भारत में प्रवासी पक्षियों की 400 से अधिक प्रजातियाँ हैं, जिनमें साइबेरियन क्रेन और लैसर वाइट फ्रंट गूज़ जैसे संकटग्रस्त और लुप्तप्राय प्रजातियाँ शामिल हैं।

## फ्लाईवे:

- फ्लाईवे अपने वार्षिक चक्र के दौरान पक्षियों के एक समूह द्वारा उपयोग किया जाने वाला क्षेत्र है जिसमें उनके प्रजनन क्षेत्र, ठहराव क्षेत्र और सर्दियों के क्षेत्र शामिल हैं।
- CMS सचिवालय ने पक्षियों के प्रवास के संबंध में वैश्विक स्तर पर नौ प्रमुख फ्लाईवे की पहचान की है।



//

## प्रवासी प्रजातियों के लिये भारत द्वारा किये गए प्रयास:

- प्रवासी पक्षियों के संरक्षण के लिये राष्ट्रीय कार्ययोजना (2018-2023): भारत ने मध्य एशियाई फ्लाईवे की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण के लिये राष्ट्रीय कार्ययोजना शुरू की है।
  - प्रवासी पक्षियों द्वारा सामना की जाने वाली वभिन्न समस्याओं जैसे- नवासि स्थान का नुकसान, नमिनीकरण और वखिंडन, अवैध शिकार, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन का प्रबंधन करके इन प्रजातियों के महत्त्वपूर्ण आवासों तथा प्रवासी मार्गों पर दबाव कम करने का प्रयास।
  - प्रवासी पक्षियों की संख्या में कमी को रोकना और वर्ष 2027 तक इस परदृश्य को संतुलित करना।
  - आवासों और प्रवासी मार्गों के खतरों से बचाना और भावी पीढ़ियों के लिये उनकी स्थिरता सुनिश्चित करना।
  - प्रवासी पक्षियों और उनके आवासों के संरक्षण के लिये मध्य एशियाई फ्लाईवे के साथ-साथ वभिन्न देशों के बीच सीमा पार सहयोग

का समर्थन करना।

- प्रवासी पक्षियों और उनके आवासों पर डेटाबेस में सुधार करना ताकि उनके संरक्षण आवश्यकताओं को बेहतर तरीके से समझा जा सके।

■ भारत के अन्य प्रयास:

- समुद्री कछुओं का संरक्षण: वर्ष 2020 तक समुद्री कछुआ नीति और समुद्री स्ट्रैंडिंग प्रबंधन नीति की शुरुआत।
- माइक्रो प्लास्टिक और सगिल यज्ञ प्लास्टिक से होने वाले प्रदूषण में कमी।
- बाघ, एशियाई हाथी, हमि तेंदुआ, एशियाई शेर, एक सींग वाला गैंडा और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जैसी प्रजातियों के संरक्षण के लिये सीमा पार संरक्षण कक्षेतर।
- पारिस्थितिक रूप से नाजुक क्षेत्रों में अनुकूल विकास के लिये रैखिक अवसंरचना नीति दिशा-निर्देशों जैसे सतत बुनियादी ढाँचे का विकास।

■ प्रोजेक्ट सुनो लेपरड (PSL): PSL को हमि तेंदुओं और उनके आवास के संरक्षण के लिये एक समावेशी और भागीदारी दृष्टिकोण को बढ़ावा देने हेतु वर्ष 2009 में लॉन्च किया गया था।

■ डुगोंग संरक्षण रज़िर्व: भारत ने तमलिनाडु में अपना पहला डुगोंग संरक्षण रज़िर्व स्थापित किया है।

■ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972:

- प्रवासी पक्षियों सहित पक्षियों की दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों को अधिनियम की अनुसूची-1 में शामिल किया गया है जिससे उन्हें उच्चतम स्तर की सुरक्षा प्राप्त होती है।
- इस अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर कठोर दंड का प्रावधान किया गया है।
- पक्षियों और उनके आवासों की बेहतर सुरक्षा और संरक्षण के लिये इस अधिनियम के तहत प्रवासी पक्षियों सहित पक्षियों के महत्त्वपूर्ण आवासों को संरक्षण क्षेत्रों के रूप में अधिसूचित किया गया है।

■ अन्य पहलें:

- नगालैंड राज्य में अमूर फालकनस, जो दक्षिणी अफ्रीका की ओर अपनी यात्रा के दौरान पूर्वोत्तर भारत में प्रवास करते हैं, की सुरक्षा के लिये केंद्रित सुरक्षा उपाय किये गए हैं। इन उपायों में स्थानीय समुदायों द्वारा सहायता भी शामिल है।
- भारत ने गदिधों के संरक्षण के लिये कई कदम उठाए हैं जैसे-डाइक्लोफेनाक के पशु चिकित्सा उपयोग पर प्रतिबंध लगाना, गदिध प्रजनन केंद्रों की स्थापना आदि।
- वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो की स्थापना वन्यजीवों तथा उनके अंगों एवं उत्पादों के अवैध व्यापार पर नियंत्रण के लिये की गई है।

## UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

प्रश्न. नमिनलखिति युगों पर वचिर कीजयि: (2020)

अंतर्राष्ट्रीय समझौता/संगठन वषिय

1. अलमा-आटा घोषणा: लोगों के स्वास्थय की देखभाल
2. हेग समझौता: जैविक एवं रासायनिक शस्त्र
3. तालानोआ संवाद: वैश्विक जलवायु परिवर्तन
4. अंडर2 गठबंधन: बाल अधिकार

उपयुक्त युगों में से कौन-सा/से सही सुमेलति है/हैं?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 4
- (c) केवल 1 और 3
- (d) केवल 2, 3 और 4

उत्तर: c

- **अलमा-आटा घोषणा**: इसे वर्ष 1978 में अलमाटी, कज़ाखस्तान में आयोजित प्राथमिक स्वास्थय देखभाल (PHC) पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में अपनाया गया था। इसने सभी सरकारों, स्वास्थय देखभाल श्रमिकों तथा विकास कार्यकर्ताओं के प्राथमिक स्वास्थय को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने का आग्रह किया। **अतः युग 1 सही सुमेलति है।**
- **हेग समझौता**: वभिनिन वषियों पर हेग समझौते की एक शृंखला है जैसे- सशस्त्र संघर्ष की स्थिति में सांस्कृतिक संपत्तिके संरक्षण के लिये अभिसमय, अंतर्राष्ट्रीय बाल अपहरण के नागरिक पहलुओं पर हेग समझौता आदि लेकनि यह जैविक और रासायनिक हथियारों से संबंधति नहीं है। **अतः युग 2 सही सुमेलति नहीं है।**
- **तालानोआ संवाद**: इस संवाद को वर्ष 2017 में बॉन (जर्मनी) में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (COP 23) में लॉन्च किया गया था। तालानोआ एक पारंपरिक शब्द है जिसका उपयोग फ़िजी और पूरे प्रशांत क्षेत्र में समावेशी, भागीदारी एवं पारदर्शी संवाद की प्रक्रिया को दर्शाने के लिये किया जाता है। तालानोआ का उद्देश्य कहानियों को साझा करना, सहानुभूति का निर्माण करना तथा सामूहिक भलाई के लिये वविकपूर्ण नरिणय लेना है। **अतः युग 3 सही सुमेलति है।**
- **अंडर2 गठबंधन**: अंडर2 गठबंधन राज्य और क्षेत्रीय सरकारों का एक वैश्विक समुदाय है जो पेरिस समझौते के अनुरूप महत्त्वाकांक्षी जलवायु कार्रवाई के लिये प्रतिबद्ध है। गठबंधन 220 से अधिक उप-राष्ट्रीय सरकारों को एक साथ लाता है जो 1.3 बलियिन से अधिक लोगों और वैश्विक अर्थव्यवस्था के 43 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करते हैं। वर्तमान में महाराष्ट्र, जम्मू और कश्मीर, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और छत्तीसगढ़

भारत से इस समझौते के हस्ताक्षरकर्त्ता हैं। हस्ताक्षरकर्त्ता समिति वैश्विक तापमान वृद्धिको 1.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचने के प्रयासों के साथ 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखने के लिये प्रतिबद्ध है। अतः युग 4 सही सुमेलति नहीं है।

- अतः विकल्प (c) सही उत्तर है।

स्रोत: पी.आई.बी.

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/convention-on-migratory-species>

